तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07/06/24	पत्रावली पेश हुई । पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों मे व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 08/07/24 को पेश हो।
08/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादीगण स्वयं उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली तलब करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली जावें। वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते दावा विड्रा करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान प्रकरण में हम पक्षकारों के मध्य लोकअदालत की भावना से वादग्रस्त आराजी के आपसी सहमति से सलूह हो गया है। अब उक्त आराजी का हमारे विवाद नहीं रहने से वाद में वादीगण कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इसलिए उक्त वाद को अपनी स्वेच्छा से विड्रो करना चाहते है। अतः वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर उक्त अनवान के वाद को जरिये राजीनामा विड्रो किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

कि. नागजी
कि. रूपा
जोगाराम
मनोहर

सहायक कलेक्टर (SDO) [illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 93/2023

पीठासीन अधिकारी –श्री विरेन्द्रसिंह भाटी, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 53,188 रा.का.अ.

वादीगण –

1. नागजी पुत्र उका 2. भुपा पुत्र उका 3. मफीदेवी पत्नि द्वारकाराम
4. जोगाराम पुत्र द्वारकाराम जाति रबारी, निवासी गंगासरिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. जोगाराम पुत्र पदमाराम 2. नरसीगाराम पुत्र पदमाराम
3. वलियोदेवी पत्नि पदमा 4. पीथाराम पुत्र हेमराज
5. शंकर पुत्र हेमराज जाति रबारी, निवासी गंगासरिया, तहसील सेड़वा
6. व्यवस्थापक–एस.बी.आई. बैंक, शाखा–साता
7. व्यवस्थापक–एस.बी.आई. बैंक शाखा–सेड़वा
8. व्यवस्थापक–भूमि विकास बैंक, शाखा बालोतरा
9. राज्य सरकार जरिये (भुमिधारी) तहसीलदार सेड़वा

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री करनाराम कड़वासरा**
प्रतिवादी संख्या 04 के वकील– **श्री मेहराराम**

प्राथमिक डिक्री निर्णय

दिनांक :– 09/05/2024

वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि सरहद मौजा गंगासरिया पटवार मण्डल भंवरिया के खेत खसरा संख्या 143 रकबा 30.9341 हैक्टर, खसरा संख्या 153 रकबा 0.3723 हैक्टर, खसरा संख्या 201 रकबा 9.1783 हैक्टर के आये हुए है, जिसमें वादीगण संख्या 1 व 2 का 1/6 हिस्सा व वादीगण संख्या 3 व 4 का हिस्सा वादीगण का 1/2 भूमि वादीगण की खातेदारी, कब्जाकाश्त की आयी हुई है। मौके पर हिस्सेनुसार कब्जा काश्त की आयी हुई है। उक्त आराजी को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित किया जाएगा। वादग्रस्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भू–विभाजन बहामी व भौतिक तौर से होकर अलग–अलग वर्षों से खेती बाड़ी करते आ रहे है, मौके पर वादीगण का अलग कब्जा होकर अपने हिस्से में रहवासीय ढाणी, टांका, कुंए स्थित है तथा मांठे भी कायम है। लेकिन राजस्व रैकर्ड में भूमि संयुक्त रूप से इन्द्राज है तथा मांठे भी कायम है। लेकिन राजस्व रैकर्ड में भूमि संयुक्त रूप से इन्द्राज होने से बंटवाड़ा हेतू दावा पेश है। मौके पर कब्जे काश्त अनुसार व दर्ज हिस्से, कब्जे अनुसार व रास्ते की सुविधा अनुसार वादीगण बंटवाड़ा करवाने का हकदार से एतदर्थ दावा पेश है। वादग्रस्त भूमि का बहामी एवं भौतिक तौर से मौके पर वादीगण का अलग–अलग कब्जा काश्त है, जिसमें रहवासीय ढाणी भी स्थित है, मौसम अनुसार वादीगण खेती बाड़ी करते आ रहा है

सहायक कलक्टर सेड़वा

9/5/24
सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

न प्रतिवादीगण अपने हिस्से से ज्यादा, नर्मदा नहर की तरफ भूमि पर कब्जा कर वादीगण की जमीन हड़प करना चाहते है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में भूमि संयुक्त दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण हेमशा के लिए मौके पर विवाद कर वादीगण को खेती बाड़ी नहीं करने देते है, आये दिन वादीगण के कब्जे व हिस्से की खेतो की माठो को तोड़कर अपने हिस्से में मिलाने की चेष्ठा करते रहते है तथा विशेष भू–भाग व विशेष खसरा पर पक्का निर्माण करना चाहते है, मना करने पर नहीं मानते है, झगड़ा–टंटा करने को उतारू हो जाते है, राजस्व रैकर्ड में भूमि सामलाती दर्ज होने से वादीगण मिट्स एण्ड बाउट्स के आधार पर मौके पर कब्जेकाश्त अनुसार बंटवाड़ा करवाने के कानूनी हकदार होने से दावा बंटवाड़ा का पेश है। वादग्रस्त भूमि का मौके पर वादीगण जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार काबिज काश्त है, तथा लेकिन प्रतिवादीगण हिस्से से ज्यादा व उपजाऊ भूमि लेना चाहते है तथा कब्जा करना चाहते है, तथा विशेष भू–भाग व विशेष खसरा पर अपनी इच्छानुसार उपजाऊ भूमि पर पक्का निर्माण करना चाहते है लेकिन राजस्व रैकर्ड में भूमि शामलाती होने से प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के अलग कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी पैदा कर मौके पर मौजूद मांठे इत्यादि में परिवर्तन करते रहते है। तथा वादीगण के हिस्से की भूमि में काश्त करने भारी अवरोध पैदा कर मौके पर झगड़ा–टंटा करने को तुले रहते है, वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार सहमति से बंटवाड़ा करने का निवेदन किया लेकिन बंटवाड़ा करने से साफ मुकर रहे है। कई बार पंच–पंचायती भी करवाई, लेकिन प्रतिवादीगण नहीं मानकर ऐलानिया, धमकियां देते है कि वादग्रस्त भूमि में आपको काश्त नहीं करने देगें तथा वादग्रस्त भूमि अनजान व्यक्ति को बैचान कर कब्जे से बेदखल करेगें। विनायवाद उस समय पैदा हुआ कि दिनांक 20.06.2023 को वादीगण अपने खेत में खड़ा था, इतनें में प्रतिवादीगण व उनके परिवार वाले योजना बनाकर आये तथा वादीगण के अलग हिस्से व कब्जे की भूमि पर फसल बोने लगे, तथा विशेष भू–भाग, विशेष खसरे पर पक्का निर्माण करना शुरू कर दिया, वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादीगण ने ऐलानिया, धमकियां दी, कि वादग्रस्त खेत से कब्जा खाली कर दो, इस खेत में काश्त नहीं करने देगें, वादग्रस्त भूमि किसी अनजान व्यक्ति को बैचान कर कब्जे से बेदखल करेगें। जिससे वादीगण द्वारा मना करने पर नहीं माने। वादीगण ने प्रतिवादीगण को आपसी सहमति का बंटवाड़ा करने हेतू राजस्व अभियान में कहा, जिस पर प्रतिवादीगण राजस्व रैकर्ड में बंटवाड़ा करवाने से साफ इन्कार हो गये। तथा वादीगण को ऐलानिया, धमकियां दी कि बंटवाड़ा की बात छोड़ो, आप उक्त खेत में कब्जा खाली कर दों। अन्यथा हम जबरन आपको उक्त खेत से बेदखल कर देगे, उक्त खेत में आपको काश्त करने के लाले पड़ेगे। जिससे विनायवाद बमुकाम गंगासरिया, तहसील सेड़वा में पैदा होने से दावा हाजा पेश है। सरहद मौजा गंगासरिया, पटवार हल्का भंवरिया के खेत खसरा संख्या 143 रकबा 30.9341 हैक्टर, खसरा संख्या 153 रकबा 0.3723 हैक्टर, खसरा संख्या 201 रकबा 9.1783 हैक्टर भूमि का राजस्व रैकर्ड में दर्ज खातेदारी एवं मिट्स बाउट्स व काश्त की सुविधा अनुसार मौके

सहायक कलेक्टर सेड़वा

सहायक कलेक्टर
(SDO) सेड़वा

जेकाश्त अनुसार व रास्ते की सुविधा अनुसार वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बंटवाड़ा की क जारी फरमावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुये। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 04 की और अधिवक्ता मेहराराम ने वकालतनामा मय काउन्टर क्लेम पेश किया जिससे शामिल पत्रावली किया गया। तथा अन्य प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वादी वकील वकील ने उक्त अनवान पर बहस सुनने का निवेदन किया। वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादी साक्ष्य में **PW-1** जोगाराम पुत्र द्वारकाराम **PW-2** पीथाराम पुत्र हेमाराज **PW-3** बिजलाराम पुत्र नागजीराम का साक्ष्य शपथ–पत्र तथा लिखित दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श ई.एक्स.पी.1 जमाबन्दी मौजा गंगासरिया के खेत खसरा संख्या क्रमशः 143, 153, 201 रकबा क्रमशः 30.9341, 0.3723, 9.1783 हैक्टर प्रदर्श ई.एक्स.पी.2 आंशिक नक्शा ट्रेस मौजा गंगासरिया के खेत खसरा संख्या क्रमशः 143, 153, 201 रकबा क्रमशः 30.9341, 0.3723, 9.1783 हैक्टर जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय में Exhibit करवाये।

वकील वादीगण उपस्थित। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि वादी का वाद प्रारम्भिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः **वादीगण का वाद प्रारम्भिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा गंगासरिया, पटवार हल्का भंवरिया भू.अ.निरीक्षक बाखासर के खेत खसरा संख्या 143 रकबा 30.9341 हैक्टर, खसरा संख्या 153 रकबा 0.3723 हैक्टर, खसरा संख्या 201 रकबा 9.1783 हैक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 04 का 1/6 हिस्सा मौके एवं कब्जा काश्त एवं रास्ते की सुविधा अनुसार "बाई मीटस एण्ड बाउण्ड" विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार सेड़वा को** 500/– रूपये फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस वादी मौके पर अदा करेगा।

विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावे।

नोट :– जमाबंदी में जो भी सहखातेदार है उन सभी को सूचित करते हुए एवं माननीय राजस्व बोर्ड के नवीनतम दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव बनाए।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO) सेड़वा